निर्णय न्यायालय उपखण्ड अधिकारी ,भदेसर जिला चित्तौडगढ

पीठासीन अधिकारी – सुश्री अंजू शर्मा आर.ए.एस.

दिनांकः– 08.11.2021

प्रकरण संख्या – 36/2019

अनवान

बंशीलाल पिता जयचंद ब्राहमण उम्र 82 वर्ष निवासी रेवलिया कलां तहसील भदेसर ..... वादी

|| बनाम ||

1. सरकार जरिये तहसीलदार भदेसर जिला चित्तोडगढ
2. सरकार जरिये जिला कलेक्टर महोदय, चित्तौडगढ ..... प्रतिवादीगण

वाद पत्र अन्तर्गत धारा 88, 89, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955
बाबत कृषि आराजीयात की घोषणा, इन्द्राज दुरूस्ती

हस्तगत वाद के संक्षिप्त में तथ्य इस प्रकार है कि वादीगण ने एक वादपत्र राजस्थान का तकारी अधिनियम 1955 की धारा 88, 89, 188 के तहत इस आशय का प्रस्तुत किया गया कि :–

1. यह कि वादी के खातेदारी की मौजा मानपुरा पटवार हल्का रेवलिया खुर्द, तहसील भदेसर की साबिक खाता संख्या 77 पर दर्ज आ.नं. 356/3 रकबा 02 बीघा 8 बिस्वा कुल लगानी 0.29 रू0 भूमि दर्ज रेकार्ड थी,जिसके नवीन खाता सं. 80 पर दर्ज आराजी नम्बर 344 रकबा 0.28 हैक्टेयर कायम किये गय। साक्ष्य में नकल जमाबंदी साबिक एवं नवीन, मिलान क्षैत्रफल, नक्शा ट्रेस, मिसल बंदोबस्त संलग्न वाद पत्र की है।
2. यह कि मौजा मानपुरा पटवार हल्का रेवलिया खुर्द, तहसील भदेसर का वर्ष 2010–11 में भू प्रबंध अधिकारीयों द्वारा भू प्रबंध किया गया। भू प्रबंध के दरम्यान वादी के खातेदारी में दर्ज साबिक खाता संख्या 77 पर दर्ज आ.नं. 356/3 रकबा 02 बीघा 8बिस्वा कुल लगानी 0.29 रू0 भूमि दर्ज रेकार्ड थी,जिसके नवीन खाता सं. 80 पर दर्ज आराजी नम्बर 344 रकबा 0.28 हैक्टेयर कायम किया गया परंतु उक्त आराजीयात में रकबे कम होने हुए वादी की खातेदारी में दर्ज नहीं कर बिलानाम काबिल काश्त भूमि दर्ज कर दी गई है जिससे वादी की ओर से वादी पत्र घोषणात्मक डिक्री का पेश है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Anju Sharma
Date: 2022.02.28 14:12:34 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
भदेसर, जिला–चित्तौड़गढ़

Scanned with CamScanner

3. यह कि वादी ने विवादित आराजीयात भू प्रबंध के पूर्व अपने पिता एवं पितामह से विरासत में प्राप्त की एवं तभी से ही उक्त आराजीयात का उपयोग उपभोग करता चला आ रहा है। लेकिन भू–प्रबंध अधिकारियो की लापरवाही से वादी की आराजीयात में कमी कर भारी क्षति वादी को पहुँचाई है इसलिए उक्त आराजीयात की कमी रकबे को पुरा करने हेतु इन्द्राज दुरूस्ती का यह वाद पत्र पेश की है।

4. यह कि उक्त वादी की आराजीयात को सेटलमेंट के दरम्यिान वादी केखाते में दर्ज थी एवं उसी अनुसार वादी मौके पर काबिज चला आ रहा था फिर भी भू–प्रबंध अधिकारियो ने वादी का आंशिक आराजीयात पर कब्जा नहीं मानते हुए रकबे को कमी करते हुए बिलानाम काबिल काश्त दर्ज कर दी है। इसकी आड में प्रतिवादीगण वादी को विवादित आराजीयात से बेदखल करना चाहते है व विवादित आराजीयात को अन्य को आवंटन करने पर आमादा है ऐसी स्थिति में प्रतिवादीगण को जरिये स्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद कराये जाने हेतु वाद पत्र प्रस्तुत है।

5. यह कि प्रतिवादीगण राज्य सरकार के प्रतिनिधिगण है जिनके विरूद्ध वाद पत्र प्रस्तुत किये जाने से पूर्व धारा 80 जा.दी. का नोटिस दिया जाना आवश्यक है परन्तु प्रतिवादीगण ने वादीगण की खातेदारी की आराजीयात को बिलानाम कर बेदखल करने पर आमादा हो रहे है एवं किसी अन्य को आवंटित नहीं कर दे ऐसी स्थिति में वादीगण की ओर से प्रस्तुत वाद पत्र आवश्यक प्रकृति का हो जाने से वाद पत्र बिना नोटिस सर्व किये ही पेश किया जा रहा है जिसके लिए धारा 80 (2) जा.दी. का आवेदन मय शपथ पत्र के अलग से पेश है।

6. यह कि बिनाय मुखास्मत वादपत्र दिनांक 07.01.2019 को विवादित आराजीयात पर प्रतिवादीगण द्वारा वादीगण को बेदखल करने की धमकी देने से पैदा होकर निरंतर जारी है।

प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर विपक्षीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया। वाद के समर्थन में वादीगण की ओर से निम्न दस्तावेजी एवं मौखिक साक्ष्य प्रस्तुत किए गये।

Signature Not Verified
Digitally signed by Anju Sharma
Date: 2022.02.28 14:12:34 IST
Reason: SelfAttested

1. नकल जमाबन्दी मौजा मानपुरा [illegible] 2066–2069
2. नकल जमाबंदी नवीन मौजा मानपुरा खाता सं. 80 संवत् 2071 से 2074
3. मिलान क्षेत्रफल
4. नक्शा ट्रेस

उपखण्ड अधिकारी
बेगूँसर, जिला–चित्तौड़गढ़

वादी द्वारा वाद पत्र का निस्तारण करने का निवेदन किया गया।

Scanned with CamScanner

पत्रावली प्रशासन गांव के संग अभियान 2021 के अंतर्गत रेवलिया खुर्द शिविर में प्रस्तुत होने पर उपलब्ध साक्ष्य अभिलेख का अधोपान्त अवलोकन किया गया। मनन किया गया। नकल जमाबन्दी मौजा मानपुरा की साबिक खाता संख्या 77 पर दर्ज आ.नं. 356/3 रकबा 02 बीघा 8 बिस्वा भूमि वादी के नाम भू प्रबन्ध से पूर्व खातेदारी में दर्ज रिकार्ड थी को भू प्रबंध के पश्चात भू प्रबंध अधिकारियों द्वारा उक्त आराजीयात के आंशिक हिस्से को विलानाम दर्ज कर दिया गया। जबकि वादी वर्तमान में आराजी नम्बर 343 पर काबिज होकर काश्त कर रहा है। अतः आराजी नम्बर 343 रकबा 0.19 हैक्टेयर सम्पूर्ण भूमि वादी के खातेदारी में दर्ज किया जाना उचित मानते है।

उपरोक्त विवेचन के आधार पर वाद वादी डिक्री किया जाता है कि वादी की खातेदारी में दर्ज मौजा मानुपरा प0ह0 रेवलिया खुर्द के साबिक खाता संख्या 77 पर दर्ज आ.नं. 356/3 रकबा 02 बीघा 8 बिस्वा भूमि वादी के नाम भू प्रबन्ध से पूर्व खातेदारी में दर्ज रिकार्ड थी को भू प्रबंध के पश्चात भू प्रबंध अधिकारियों द्वारा उक्त आराजीयात के आंशिक हिस्से को विलानाम दर्ज कर दिया गया। जबकि वादी वर्तमान में आराजी नम्बर 343 पर काबिज होकर काश्त कर रहा है। अतः आराजी नम्बर 343 रकबा 0.19 हैक्टेयर सम्पूर्ण भूमि वादी के खातेदारी में दर्ज किये जाने का आदेश दिया जाता है तथा इसी आशय का पर्चा डिक्री अलग से मुर्तिब किया जावे।

निर्णय खुले न्यायालय टंकित कराया जाकर सुनाया गया।

(अंजू शर्मा)
उपखण्ड अधिकारी
भदेसर, जिला-चित्तौड़गढ़

उपखण्ड अधिकारी भदेसर, जिला-चित्तौड़गढ़

Signature Not Verified

Digitally signed by Anju Sharma
Date: 2022.02.28 14:12:34 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with CamScanner